न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

विविध अपील (पर्चा)-12/2004

शेख मदीश मियाँ

बनाम

जैनुदीन मियाँ

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
09.04.2015	यह वाद शेख मदीश मियाँ वल्द शेख मसुल मियाँ साकिन-जोधौली, टोले बथाना, थाना-मढौरा के द्वारा अंचल अधिकारी मढौरा के द्वारा वाद संख्या 05/2003-2004 में दिनांक 21.04.2004 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि श्री जैनुदीन मियां, पिता-श्री मुस्लिम मियां, सा0-जोधौली, थाना मढौरा जिला-सारण के द्वारा प्रश्रय प्राप्ति रैयत बासगीत पर्चा के लिए आवेदन पत्र दिया गया। प्राप्त आवेदन की जांच राजस्व कर्मचारी,अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक से कराई गई। जांचोपरान्त पाया गया कि आवेदक का मकान निम्नलिखित भूमि पर बना हुआ है, जिसमें वे रहते आ रहे है।	

क्रम सं0	प्रश्रय प्राप्त रैयत का नाम	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा
1	श्री जैनुदीन मियां	जोधौली	159	194	921	0-1-2

राजस्व कर्मचारी, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि आवेदक भूमिहीन है एवं उक्त जमीन आवेदक के दखल कब्जे में है। जमीन डीह बसगीत खतियान में दर्ज है।

उपर्युक्त भूमि खतियान में गणी वल्द अब्दुल के नाम से दर्ज है। जमाबन्दी मसूल मियां(हाल) शेख मदीश के नाम से चल रहा है। इस संबंध में सर्व साधारण को नोटिस निर्गत किया गया कि 15 दिनों के अंदर यदि किसी को आपति हो तो वे अपनी आपति कार्यालय में दर्ज कराए। इसके आलोक में श्री मदीश मियां ग्राम जोधौली (बथाना) के द्वारा आपति पत्र दिया गया, लेकिन अभिलेख के परिसीलन से ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत जमीन में ही आवेदक का आवासीय मकान है। इस तरह, अंचल अधिकारी, मढौरा के द्वारा 21.04.2004 को आवेदक जैनुदीन मियां का आवेदन प्रश्रय प्राप्त रैयत होने के आधार पर स्वीकृत करते हुए निर्देश दिया गया कि आवेदक को विहित प्रपत्र में परवाना निर्गत किया जाए।

शेख मदीश मियां, ग्राम जोधौली टोले बथाना के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध यह वाद लाया गया है। 09.02.2011 से आवेदक के द्वारा उक्त वाद में पैरवी नहीं की गई है। इस बीच विपक्षी के द्वारा लगभग नियमित रूप से अपनी पैरवी की जाती रही है।

इस न्यायालय के ज्ञापांक 120/न्या0, दिनांक 19.02.2015 के द्वारा आवेदक को संबंधित अंचल अधिकारी के माध्यम से नोटिस भेजा गया एवं अपनी उपस्थिति सुनिश्चित नही करने पर वाद को खारिज करने की चेतावनी भी दी गयी।

अचंल अधिकारी, मढौरा के पत्रांक 163, दिनांक 11.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आवेदक तथा उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। नोटिस उनके नाती के द्वारा लिया गया है।

अंतिम नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी आवेदक के कोई वारिसान सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

अभिलेख में रक्षित कागजातो के परिसीलनोपरान्त में इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि आवेदक के वारिसान को उक्त वाद के संचालन से कोई सरोकार नही है तथा उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। अतः आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन दिनांक 22.09.2004 को अस्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, मढौरा को निर्देश है कि वे अग्रेतर आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं सशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 222 /न्यायालय, दिनांक 10/4/15

प्रतिलिपि- अंचल अधिकारी, मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, सारण को निदेशानुसार अनुरोध है कि इस जिले के website पर उक्त आदेश को upload करने का कष्ट किया जाए।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण
10/4/15